# सूचना का अधिकार अधिनियम 2005के बारे में

## सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है ?

भारत सरकार ने किसी भी सरकारी प्राधिकारी के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जिम्मेवारी के संवर्धन के लिए सरकारी प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच प्राप्त करने के लिए नागरिकों हेतु सूचना का अधिकार की व्यावहारिक प्रणाली निर्धारित करने की व्यवस्था के लिए "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" अधिनियमित किया है।

## सूचना का अधिकार क्या है ?

सूचना के अधिकार में उस सूचना, जिसे किसी सरकारी प्राधिकारी द्वारा धारित किया जाता है अथवा उसके नियंत्रणाधीन है, तक पहुंच शामिल है और इसमें कार्य, दस्तावेजों, रिकार्डों और नोट लेने, सार अथवा दस्तावेजों/रिकार्डों की प्रमाणित प्रतियों का निरीक्षण करने का अधिकार तथा सामग्रियों का प्रमाणित नमूना लेने और उस सूचना, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी रखी जाती है, को प्राप्त करने का अधिकार भी शामिल है।

## सूचना, जिसे प्रकटन से छूट प्राप्त है।

अधिनियम धारा 8 और 9 के अधीन सूचना की कतिपय श्रेणियां प्रदान करता है, जिन्हें नागरिकों को प्रकटन से छूट प्राप्त है। सूचना के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने के पूर्व जनता अधिनियम की संगत धाराओं का भी संदर्भ दे सकती है।

## सूचना कौन मांग सकता है ?

कोई भी नागरिक अंग्रेजी अथवा हिन्दी या उस क्षेत्र, जिसमें आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, की किसी आधिकारिक भाषा में निर्धारित फीस के साथ लिखित में अथवा इलेक्ट्रानिक माध्यम से आवेदन देकर सूचना मांगने के लिए अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

## कौन सूचना प्रदान करेगा ?

कोई भी सरकारी प्राधिकारी (प्रधान कार्यालय और अपने सभी आंचलिक कार्यालयों/शाखा तथा अन्य कार्यालयों में) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी नामोदिष्ट

करेगा, जो अनुरोध प्राप्त करेगा और कानून के अधीन यथा अनुमत्य जनता को आवश्यक सूचना प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। सरकारी प्राधिकारियों से केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रैंक से वरिष्ठ, जैसा भी मामला हो, प्राधिकारी को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामोदिष्ट करना भी अपेक्षित है, जो अधिनियम के अधीन यथापेक्षित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपीलों पर विचार और निपटारा करेगा। कोई भी व्यक्ति, जो समय सीमा के भीतर चाहे सूचना अथवा अस्वीकृति द्वारा के.ज.सू.अ. से कोई निर्णय प्राप्त नहीं करता, सूचना प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित अवधि की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर अथवा निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है।

**मुख्य संरचना/केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी की भूमिका**

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से जनता से अनुरोध की प्राप्ति पर सूचना प्रदान करने और उसे या तो अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से निर्धारित अवधि के भीतर सूचना प्रदान करके अथवा अनुरोध को अस्वीकार करके अनुरोध पर कार्यवाही करना अपेक्षित है।

**अपीलीय प्राधिकारी**

अपीलीय प्राधिकारी अधिनियम के अधीन यथापेक्षित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों के निर्णय के विरूद्ध अपील करेंगे और उसका निपटारा करेंगे। अपीलीय प्राधिकारी का गठन परिभाषित किया गया है।